संख्या- 354 /2024/ 3072 /चार-2024-1856953

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊः दिनांक 09 अक्टूबर, 2024**

विषय- "मिशन शक्ति" पांचवा चरण 'शक्ति महोत्सव' के अन्तर्गत दिनांक 10 व 11 अक्टूबर, 2024 की अवधि में कुम्भ, कला, संस्कृति, विरासत एवं नारी सुरक्षा पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 2010/सं0नि0-15 (51)/2024-25, दिनांक 07 अक्टूबर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या- 340/2024/2777/चार-2024-1850918 दिनांक 23 सितम्बर, 2024 द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत शारदीय नवरात्रि की शुभ तिथियों में दिनांक 03 से 12 अक्टूबर, 2024 की अवधि में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में देवी के मन्दिरों एवं शक्तिपीठों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए महिलाओं की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा लागू किये गये कानूनों का वृहद प्रचार-प्रसार हेतु विशेष अभिमान के साथ देवी मन्दिरों / शक्तिपीठों में स्थानीय लोक कलाकारों/ भजन मण्डलियों / कीर्तन मण्डलियों द्वारा माँ दुर्गा के सभी रूपों से सम्बन्धित भजन / कीर्तन का कार्यक्रम कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में "मिशन शक्ति" पांचवा चरण 'शक्ति महोत्सव' के अन्तर्गत दिनांक 10 व 11 अक्टूबर, 2024 की अवधि में कुम्भ, कला, संस्कृति, विरासत एवं नारी सुरक्षा पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु रू0 23.30 लाख (रूपये तेईस लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 340/2024/2777/चार-2024-1850918 दिनांक 23 सितम्बर, 2024 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(5) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(6) कार्यक्रम में लघु मंचों का निर्माण, प्रचार-प्रसार का कार्य सचिवालय प्रशासन तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 की अनुमोदित दरों पर कराया जायेगा।
(7) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(9) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(10) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(11) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं०-92 आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-25-उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव-2024-25 -42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधिनित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

<u>संख्या- 354 /2024/ 3072 (1) /चार-2024-1856953, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।